

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर- 65/2020

सुधा पुत्र लखेसर पत्नी श्री शिव राम सैनी उम्र 43 वर्ष जाति माली निवासी हाल वार्ड नं.
12, अजीत हॉस्पिटल के पीछे खेतड़ी जिला झुझुनू (राज)

..... प्रार्थीया

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज)

.....अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 22-02-2021

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम मानोता
खुर्द तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या
30 के ख.नं. 130 रकबा 1.5200 कुल किता 1 कुल रकबा 1.5200 हैक्टर में प्रार्थीया का
नाम सुधीरा के स्थान पर सुधा दर्ज किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीया
द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार
खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया
जाना उचित है।

प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074-77 खाता सं.
30 ग्राम मानोता खुर्द पेश की गई तथा गवाह दूलीचन्द पुत्र लखेसर सैनी आयु 37 वर्ष
जाति सैनी निवासी गोठड़ा व राधेश्याम सैनी पुत्र सुरजाराम सैनी आयु 43 वर्ष जाति सैनी
निवासी गोठड़ा के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय
दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का
ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम मानोता खुर्द तहसील खेतड़ी
स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 30 में प्रार्थीया का नाम
सुधीरा के स्थान पर सुधा दुरुस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मानोता खुर्द
तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 30 में
प्रार्थीया का नाम सुधीरा के स्थान पर सुधा दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर
जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-02-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजपाल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी